

भारत का उच्चतम न्यायालय
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता
आपराधिक अपील कमांक 480 / 2009

इमरत सिंह और अन्य अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति (मौखिक)

यह अपील सजापत अभियुक्त के द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 24.10.2018 के विरुद्ध निर्देशित की जाती है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश, दतिया के दिनांकित 30.03.1995, के अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं—148 और 302 सहपठित 149 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों को कारित करने के लिए दोषसिद्धि के निर्णय को यथावत रखा। अपीलार्थीगण को हत्या के अपराध के लिए अजीवन कारावास और भा.द.सं. की धारा—148 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतने की सजा दी गई। उनको रुपये 25000/— का अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिए भी निर्देशित किया गया और अर्थदण्ड के भुगतान के व्यतिक्रम में, और तीन वर्ष का कारावास भुगतने की सजा दी गई।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि, जैसा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दर्शित है कि दिनांक 25.05.1994 के दोपहर के 2 बजे के लगभग, लखन सिंह (आ.सा. 10) और राम सिंह (आ.सा. 11), जो ग्राम बारौनकला से ग्राम कौटरा आ रहे थे, ने देखा कि अभियुक्तगण, गजराज सिंह को लाठियों से बरार खोरा नामक जगह पर पीट रहे थे। इन दोनों गवाहों ने अभियुक्तगण से पूछा कि गजराज सिंह को क्यों पीट रहे हैं और तब उन्हें अभियुक्तगण द्वारा धमकी दी गई। डरे होने के कारण, वे दोनों अपनी स्वयं

की जान बचाने के लिए मौके से भाग गए। फिर वे ग्राम कौटरा पहुंचे और उसके बाद प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने के लिए शाम के 5 बजे के आसपास पुलिस थाने गये। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि यद्यपि यह एफ.आई.आर. का भाग नहीं है, विचारण के दौरान यह पता चला है कि सोमती (आ.सा. 6) और रघुवीर (आ.सा. 7) ने गजराज सिंह को आखिरी बार अभियुक्त इमरत सिंह के साथ देखा था। दोनों, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय, ने लखन सिंह (आ.सा. 10) और राम सिंह (आ.सा. 11) कि अभिसाक्ष्य को सत्य होना स्वीकार किया है और उनके साक्ष्य का भी सत्य होना स्वीकार किया है और इन दोनों गवाहों को चश्मदीद गवाह के रूप में मानते हुए उपरोक्त वर्णित रूप में सारे अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध किया है। अतः यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

सुश्री जून चौधरी वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता, के साथ श्री शिखिल शूरी जिन्हें हमने न्यायमित्र के रूप में हमारी मदद करने के लिए कहा था, ने हमारे समक्ष यह मुख्य तर्क उठाया है कि लखन सिंह (आ.सा. 10) और राम सिंह (आ.सा. 11) की अभिसाक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वे निवेदन करते हैं कि यदि अभिसाक्ष्य को पूर्णरूप से अन्य मौजूद परिस्थितियों के साथ पढ़ा जाए तो, जिसे हम बाद में विचार में लेंगे, पर इन दोनों साक्षियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और, इसलिए, दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है। जहां तक सोमती (आ. सा. 6) और रघुवीर (आ.सा. 7) का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उनके अभिसाक्ष्य विरोधाभासी है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और अच्छी तरह से भी अभिसाक्ष्य इमरत सिंह के विरुद्ध जायेगे और न कि किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध।

हमें एफ.आई.आर. के बारे में विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे रूप से अभियोजन के दो प्रमुख गवाहों लखन सिंह (आ.सा. 10) और राम सिंह (आ.सा. 11) के कथनों से निपटते हैं। वे दोनों ग्राम कौटरा के निवासी हैं। इनके कथन हैं कि वे दोनों ग्राम बारौन कलां गए थे चूंकि उन दोनों ने वहां काम किया था और लखन सिंह (आ.सा. 10) कुम्हार भगवान दास से कुछ काम करवाने के लिए मिलने के लिए गया था। उनके अनुसार, जब वे बारौन कलां से लौट रहे थे और बरार कौरा के समीप पहुंचे थे, उन्होंने पाँचों सभी अभियुक्त, इमरत सिंह, हेतम सिंह, रघुवीर सिंह,

निर्भय सिंह और रतन सिंह लाठियों से गजराज सिंह को पीटते देखा। लखन सिंह (आ.सा. 10) के अनुसार, यह घटना बरार कौरा में दगरे के समीप घटित हुई, जहां वे चल रहे थे। जबकि रामसिंह (आ.सा. 11) के अनुसार, यह दूरी केवल 10 कदम की थी। उन दोनों ने कहा कि जब उन्होंने अभियुक्तगण से पूछताछ कि वे गजराज सिंह को क्यों पीट रहे हैं तब उन दोनों को भी धमकी दी गई और तब वे भाग गए। जहां तक कहानी के इस भाग का संबंध है, यहां पर उन दोनों गवाहों के संस्करण के मध्य सम्पूर्ण एकरूपता है। यह संस्करण लगभग एक तोते की तरह है। यहां प्रश्न है कि क्या ये गवाह सच कह रहे हैं या नहीं। यदि हम केवल अभिसाक्ष्य के इस भाग पर निर्भर रहे तो उच्च न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी।

इन गवाहों के कथनों के पश्चात्पूर्वी भाग इस हद तक एक दूसरे के विपरित है और इन दोनों गवाहों के कथनों में इतने सारभूत विरोधाभास है कि जहां तक दूसरे पहलुओं का संबंध है, हमारे मस्तिष्क में एक संदेह उत्पन्न किया गया है कि ये गवाह तैयार किये गये गवाह हैं जो कि जहां तक घटना का अपने आप के संबंध में तोते जैसे संस्करण के साथ लेकर आये हैं परंतु जब आसपास की परिस्थितियों की बात आती है, इनकी साक्ष्य विफल हो जाती है और प्रतिपरीक्षण की समीक्षा से स्थिर नहीं रहती है।

लखन सिंह (आ.सा. 10) के अनुसार, घटना के तुरंत बाद, वे ग्राम कौटरा पहुंच गए। लखन सिंह (आ.सा. 10) का कहना है कि ग्राम कौटरा पहुंचकर, उसने सम्पूर्ण घटना का वृत्तांत वृषभान सिंह, मान सिंह, रुद्र सिंह, और किशोरी को बताया। इन चारों में से किसी का भी परीक्षण नहीं किया गया है। इसके बाद, हर बिलास (आ.सा. 15), जो मृतक की बहु का भाई लगता है, ग्राम कौटरा आए और उन्हें घटना के बारे में सूचित किया गया। यदि घटना दोपहर के 2 बजे के आसपास घटित हुई, तो गवाह ज्यादा से ज्यादा लगभग 10 मिनट में ग्राम कौटरा पहुंच गये होंगे। महेंद्र सिंह (परीक्षित नहीं) और जबर (परीक्षित नहीं) भी ग्राम में पहुंच गये। लखन सिंह (आ.सा. 11) के अनुसार, एक रघुवीर, बृजमोहन का नौकर, आया और उसने कहा कि गजराज सिंह का मृत शरीर कौटरा के जंगल में पड़ा हुआ है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि रघुवीर (आ.सा. 7), जिसका परीक्षण किया गया है, वास्तव में गजराज सिंह का नौकर है और न कि बृजमोहन का, परंतु हम इस मामले की संतुष्टि के लिए स्वीकार करते हैं

कि रघुवीर, जिसे लखन सिंह (आ.सा. 10) के कथन में बृजमोहन के नौकर के रूप में संदर्भित किया गया है।

इसके उपरांत, लखन सिंह (आ.सा. 10) के अनुसार, वह मामले की सूचना देने के लिए पुलिस थाना गया और प्रदर्श पी-10 की सूचना के द्वारा शिकायत दर्ज की, जिसको पढ़कर और व्याख्या कर उसे समझाया गया। यद्यपि, प्रतिपरीक्षण में वह पूर्णतः अलग संस्करण देता है। उसके अनुसार, वह ग्राम कौटरा में दोपहर 2.30 और 3.00 बजे के बीच पहुंच गया था और इसके बाद वह, रुद्र सिंह, अजब सिंह (परीक्षित नहीं), हर बिलास और राम सिंह (आ.सा. 11) ने एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया और फिर पुलिस को मामले की सूचना देने गये। जब वे पुलिस थाना पहुंचे, प्रधान आरक्षक, जो पुलिस थाने में मौजूद था, ने कहा कि वह एस.डी.ओ.पी. को बुला रहा है और एफ.आई.आर. दर्ज की जाएंगी और आगामी कार्यवाही एस.डी.ओ.पी. के बुलाने के बाद ही की जावेगी। इसके बाद एस.डी.ओ.पी. लगभग 6 बजे शाम को पुलिस थाना पहुंचे और तब लखन सिंह ने सम्पूर्ण मामला एस.डी.ओ.पी. को बताया। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि न तो प्रधान आरक्षक और न ही एस.डी.ओ.पी. का परीक्षण किया गया है। जबकि मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कहा है कि उसकी रिपोर्ट उसके पुलिस थाने पर तुरंत पहुंचने के बाद दर्ज की परंतु जब प्रतिपरीक्षण किया, उसे यह स्वीकार करने के लिए विवश किया गया कि प्राथमिकी केवल एस.डी.ओ.पी. के आने पर ही दर्ज की जाती है, उसे आगे यह सलाह दी गई कि वे सबसे पहले घटना स्थल का भ्रमण और तब रिपोर्ट दर्ज की जायेगी, जिसका अभिप्राय है कि एक मौखिक रिपोर्ट एस.डी.ओ.पी. से दर्ज की, फिर कुछ लोग घटना स्थल पर गए और घटना स्थल से लौटने के बाद औपचारिक एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

दिलचस्प है कि इस गवाह का कहना है कि कई सारे ग्रामीण पुलिस के एस.डी.ओ.पी. के साथ जिनमें राम सिंह और अन्य पुलिस कर्मचारी भी सम्मिलित थे, ने घटना स्थल का भ्रमण किया था लेकिन वह एस.डी.ओ.पी. के साथ घटना स्थल पर नहीं गया।

राम सिंह (आ.सा. 11) के बयान पर आते हैं, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, जहां तक मुख्य गवाहों का संबंध है, कथन लगभग एक समान है। उसका यह भी कहना है कि वह पुलिस थाना गया और प्राथमिकी दर्ज कराई। यद्यपि, उसका कहना है

कि जब वे ग्राम पहुंचे, उन्होंने ग्राम में पहुंचने के बाद घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताया। यह आचरण स्वाभाविक नहीं है। उसका फिर कहना है कि हर बिलास महेन्द्र सिंह और रघुवीर को तब ग्राम में सूचित किया कि गजराज की मृत्यु हो गई थी। यह, लखन सिंह ने जो कहा है, उससे बिल्कुल अलग है। इस गवाह का यह भी कहना है कि घटना स्थल का नजरी नक्शा पुलिस द्वारा उसकी उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया। उसका कहना है कि उसके हस्ताक्षर नजरी नक्शा पर नहीं है। इस गवाह को द.प्र.सं. (प्रदर्श डी-5) की धारा-161 के अंतर्गत दर्ज किये गये कथन से सामना कराया गया है जिसमें यह तथ्य कि उसने घटना दस कदम की दूरी से देखी थी, विशिष्ट रूप से नहीं कहा गया है। हम इसमें तात्त्विक विरोधाभास नहीं पाते हैं क्योंकि धारा-161 के कथन में एक व्यक्ति सटीक दूरी के बारे में बता सकता है या नहीं। यद्यपि, जबकि इस गवाह का न्यायालय में कहना है कि जब गजराज सिंह की पिटाई की जा रही थी, अभियुक्तगण गजराज सिंह से पूछ रहे थे कि उसने मीरा को वोट क्यों नहीं दिया था, इस तथ्य को धारा-161 के कथन में दर्ज नहीं किया जो कि एक तात्त्विक विरोधाभास है क्योंकि यदि यह वास्तविकता में घटित हुआ था तो इसको द.प्र.सं. की धारा-161 के कथनों में दर्ज किया गया होता और लखन सिंह (आ.सा.-10) द्वारा भी कहा गया होता, जो राम सिंह (आ.सा.-11) के साथ था। इससे स्पष्ट रूप से दर्शित है कि समय के बीतने के साथ इन गवाहों के उनके कथनों में सुधार हो रहा है।

इस गवाह के कथन का अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कि उसका कहना है कि जब उसने और लखन सिंह (आ.सा. 10) ने घटना देखी, वे दौड़कर वापस ग्राम में पहुँचे और रुद्र सिंह की दुकान पर गये, जहाँ महेन्द्र सिंह भी उपस्थित था। उसका कहना है कि उनमें से किसी ने भी घटना स्थल पर वापिस जाकर गजराज सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया था। उसके अनुसार, हर बिलास आधे घंटे के बाद आया और उनको कहा कि गजराज सिंह की मृत्यु हो गयी थी। यह लखन सिंह (आ.सा. 10) के कथन से पूर्णतः अलग है। उसके अनुसार, यह बृजमोहन का नौकर रघुवीर था जिसने गजराज की मृत्यु के बारे में सूचना दी। इसलिए, इन दोनों गवाहों के कथन में विरोधाभास है कि गाँव वालों को किसने सूचना दी कि गजराज सिंह की मृत्यु हो गई।

अन्य प्रमुख विरोधाभास यह है कि राम सिंह (आ.सा. 11) के अनुसार, वे शाम के 5 बजे पुलिस थाना पहुँचे, जिस समय पुलिस उप-अधीक्षक पहले से ही पुलिस थाना

पहुँच गये थे। यह, लखन सिंह (आ.सा. 10) के कथन से पूर्णतः अलग है। इस गवाह के अनुसार, लखन सिंह (आ.सा. 10) ने घटना का सम्पूर्ण वृत्तांत पुलिस उप-अधीक्षक को बताया और इसके बाद पुलिस उप-अधीक्षक ने कहा कि वे सबसे पहले घटना स्थल पर जाते हैं और मृत शरीर को देखते हैं और इसके उपरान्त शिकायत दर्ज की जायेगी। ऐसा लगता है कि उसका, संदर्भ पुलिस उप-अधीक्षक उसी व्यक्ति से है जिसे लखन सिंह (आ.सा. 10) द्वारा एस.डी.ओ.पी. के रूप में संदर्भित किया जाता है। विरोधाभास यह है कि जहाँ तक लखन सिंह (आ.सा. 10) ने कहा कि यह व्यक्ति पुलिस थाने पर मौजूद नहीं था और लगभग एक घंटे के बाद आया, राम सिंह (आ.सा. 11) के अनुसार, यह व्यक्ति पहले से ही पुलिस थाने पर मौजूद था।

पहला नजरी नक्शा (प्रदर्श पी-18), प्रधान आरक्षक सीताराम द्वारा तैयार किया गया, जिनका परीक्षण नहीं किया गया है, यद्यपि, इसको एक जगदीश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है, जिनका परीक्षण (आ.सा. 14) के रूप में किया गया था। यह दिलचस्प है कि लखन सिंह (आ.सा. 10) और राम सिंह (आ.सा. 11) दोनों के द्वारा नजरी नक्शा पर अभिकथित रूप से हस्ताक्षर किये जाते हैं और नजरी नक्शा दर्शित करता है कि इसको लखन सिंह के द्वारा दिए गए निर्देशों पर तैयार किया गया परन्तु लखन सिंह का कहना है कि वह पुलिस के साथ कभी भी घटना स्थल पर नहीं गया और राम सिंह का कहना है कि उसने नजरी नक्शा पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किये। हम नजरी नक्शा का उपयोग न तो अभियोजन के मामले या अभियुक्त के मामले के समर्थन में करते हैं परन्तु जिस तरीके से नजरी नक्शा तैयार किया गया, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अन्वेषण एक निष्पक्ष अन्वेषण नहीं था।

अब हम सोमती (आ.सा. 6) और रघुवीर (आ.सा. 7) से निपटेंगे, जिन गवाहों पर अभियोजन अंतिम बार देखने के सिद्धांत के उद्देश्य के लिए भरोसा दिखाता है। यद्यपि, हमे इन दोनों गवाहों से निपटने से पहले, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि अभियोजन ने एक श्रीमती पुनिया का आ.सा. 5 के रूप में भी परीक्षण किया था, जो कि पक्षद्रोही हो गई है। हम इस तथ्य को दर्ज कर रहे हैं क्योंकि उसके नाम का उल्लेख इन दोनों गवाहों के कथनों में मिलता है।

सोमती (आ.सा. 6) के अनुसार, दोपहर के 12.00 बजे के लगभग, जब वह अपने कुँए पर मौजूद थी, गजराज सिंह, जो घर पर मौजूद था को अभियुक्त इमरत

सिंह द्वारा बुलाया गया था, जिसने गजराज को सूचित किया कि वे साथ में मंदिरापान करेंगे और उसके उपरांत उसके ससुर गजराज सिंह, इमरत सिंह के साथ चले गये। उसका यह भी कहना है कि पुनिया (आ.सा. 5) ने बाद में उससे कहा कि, उसने (पुनिया) ने अभियुक्तगण इमरत सिंह और हेतम सिंह को गजराज सिंह की पीटाई करते हुए देखा था। इस गवाह के अनुसार, उसके भाई हर बिलास और एक महेन्द्र सिंह उसके घर आये और उसने उनको सूचित किया कि उसके ससुर को पीटा गया था। इस गवाह के अनुसार, उसे उसके ससुर की पीटाई के बारे में पुनिया (आ.सा. 5) द्वारा सूचित किया गया, जिसने उसके संस्करण का समर्थन नहीं किया है। उसने अपने ससुर को खुद से पिटते हुए नहीं देखा था। वास्तव में, इस गवाह ने प्रति-परीक्षण में कहा है कि यह पुनिया नहीं थी जिसने इमरत सिंह और हेतम सिंह को गजराज सिंह की पीटाई करने के बारे में बोला था परन्तु इस तथ्य को उसे उसके भाई हर बिलास द्वारा बताया गया। जहाँ तक रघुवीर (आ.सा. 7) का संबंध है, उसका कहना है कि अभियुक्त इमरत सिंह दोपहर के 2 बजे के लगभग आया और उसकी उपस्थिति में कहा कि गजराज सिंह उसके साथ रहे, चूंकि उन्होंने माँस बनाया था। दिलचस्प रूप से, सोमती (आ.सा. 6) ने नहीं कहा था कि रघुवीर (आ.सा. 7) उस समय मौजूद था, जब इमरत सिंह आये थे। उनका गजराज सिंह को दिये गये प्रलोभन के बारे में अलग संस्करण है। सोमती के अनुसार, यह मदिरा थी, जिसका प्रस्ताव दिया गया, जबकि रघुवीर (आ.सा. 7) के अनुसार, यह माँस था, जो गजराज सिंह को प्रस्तावित किया गया।

रघुवीर (आ.सा. 7) का यह भी कहना है कि उसको पुनिया द्वारा सूचित किया गया कि उसने इमरत सिंह और हेतम सिंह को गजराज सिंह की पीटाई करते हुए देखा था। उसके अनुसार, इसके बाद वह, हर बिलास और महेन्द्र सिंह के साथ जंगल की तरह गये और देखा गजराज सिंह मृत पड़े हुआ था। उसका आगे कहना है कि तब वह ग्राम को गया और लखन सिंह और मानसिंह को बोला कि गजराज सिंह का मृत शरीर जंगल में पड़ा है। उसने फिर कहा कि मृत शरीर नदी में पड़ा था। उसके अनुसार, लखन सिंह और मानसिंह ने उसे बताया कि उन्होंने गजराज सिंह का मृत शरीर पहले ही देख लिया था, जो लखन सिंह का मामला बिल्कुल भी नहीं है।

एक मात्र अन्य महत्वपूर्ण गवाह हर बिलास (आ.सा. 15) जिनके लिए संदर्भ किया जा रहा है। उसका कहना है कि उसे सोमती ने सूचित किया कि गजराज सिंह को

इमरत सिंह के द्वारा बुलाया गया था और दोनो साथ चले गये। उसके अनुसार, पुनिया वहाँ पहुँची और सूचित किया कि गजराज सिंह को इमरत सिंह और हेतम सिंह लेकर गये थे और उनके द्वारा उसको पीटा गया था। इसके बाद, वह, महेन्द्र सिंह और रघुवीर को साथ लेकर, गजराज सिंह को ढूँढने गये और गजराज सिंह के शरीर को नदी में पड़ा देखा। उसने कहा कि उसने गजराज सिंह के शरीर पर कोई चोट नहीं देखी, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि अभियोजन की कहानी है कि पाँच अभियुक्तों के द्वारा लाठी से पीटकर मृत्यु कारित की थी। हर बिलास और लखन सिंह (आ.सा. 10) दोनो के संस्करण पूरी तरह से भिन्न है। लखन सिंह (आ.सा. 10) के अनुसार, जब हर बिलास (आ.सा. 15) ग्राम में आये, तो उसे कुछ भी नहीं पता था और यह केवल रघुवीर था, जो आया और सूचित किया कि गजराज सिंह मर चुका था। यह अभियोजन की कहानी पर एक गंभीर संदेह डालती है।

एक अन्य पहलु जिसे हमने विचार में लिया है कि कई सारे बहुत महत्वपूर्ण गवाहों को जिनका परीक्षण होना चाहिए था, का परीक्षण नहीं किया है। न ही भगवान दास कुम्हार जिससे हरनाम सिंह से भारौ कलां में मिलना माना जाता है, ना ही भारौ कला से अन्य किसी व्यक्ति का लखन सिंह (आ.सा. 10) और राम सिंह (आ.सा. 11) के संस्करण के समर्थन को परीक्षण कराया गया है कि वे वास्तविक रूप से भारौ कला गये थे।

ग्रामीण, जिनको सबसे पहले इस घटना के बारे में लखन सिंह (आ.सा. 10) और राम सिंह (आ.सा. 11) द्वारा बताया गया, का परीक्षण नहीं कराया गया है। प्रधान आरक्षक, जिसने कथित रूप से प्रथम सूचना प्रतिवेदन को दर्ज किया है और वह एस. डी.ओ.पी. के लिए इंतजार करेंगे, का परीक्षण नहीं किया गया है। एस.डी.ओ.पी./पुलिस उप-अधीक्षक का परीक्षण नहीं किया गया है।

प्रथम सूचना प्रतिवेदन को पुलिस के द्वारा घटना स्थल के भ्रमण के बाद स्वीकारोक्ति रूप में दर्ज किया गया है और, इसलिए, यहाँ एक संभावना है कि घटना स्थल को देखने के बाद और सारे ग्रामीणों के साथ बातचीत करने के बाद मनगंढत कहानी बनाई जा सकती थी। अभिलेख पर यह आया है कि गजराज सिंह बहुत लोकप्रिय व्यक्ति नहीं था। उसके बहुत सारे दुश्मन थे। साक्ष्य में यह भी आया है कि गवाहों के लगभग कुछ पूर्व आपराधिक चरित्र है और उनके विरुद्ध कुछ प्रकरण लंबित

है। यह भी सत्य हो सकता है कि दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी थी। दुश्मनी, जैसा अक्सर कहा जाता है, कि दो धारी तलवार है। यह हेतुक हो सकता है लेकिन यह अन्य पक्ष को झूठा फंसाने का एक कारण भी हो सकता है। वर्तमान मामले में, ऊपर इंगित विभिन्न विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए और यह तथ्य कि विरोधाभासों को देखते हुए, लखन सिंह (आ.सा. 10) और राम सिंह (आ.सा. 11) के साथ-साथ सोमती (आ.सा. 6) और रघुवीर (आ.सा. 7) के कथनों पर भरोसा करना कठिन है, हमारा यह विचार है कि संदेह उत्पन्न किया गया है और संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है।

हमारा मत है कि उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने गवाहों के इन विरोधाभासों को विचार में नहीं लिया और गवाहों पर भरोसा किया, विशेषकर लखन सिंह (आ.सा. 10) और राम सिंह (आ.सा. 11) बिना किसी मौजूदा परिस्थितियों का जिक्र किये बिना, जिसके बारे में हमने विस्तार से उपरोक्त रूप से बताया है। उपरोक्त विर्मश को दृष्टिगत रखते हुए, हम अपील को स्वीकार करते हैं, और दोनो अधिनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं। अभियुक्त को तदनुसार दोषमुक्त करते हैं। अभियुक्त जमानत पर है। उनके बंधपत्र उन्मोचित किये जाते हैं।

.....न्यायमूर्ति

(दीपक गुप्ता)

.....न्यायमूर्ति

(अनिरुद्र बोस)

नई दिल्ली;

अक्टूबर 24, 2019.

:: खंडन ::

क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिये है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिये प्रभावी माना जावेगा।